

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023/471-90

जयपुर, दिनांक:- 13.03.2024

संशोधित आदेश

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 413-662 दिनांक 06.03.2024 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों का पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश में निम्नांकित कर्मचारियों का पदस्थापन निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्री रजत कुमार गुरु	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, अलवर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, अलवर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	श्री रविन्द्र कुमार	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	श्री गौरव जादौन	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
4.	श्री नवीन कुमार	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, झुंझुनू (स.प्र.अधि. पद विरुद्ध)	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
5.	श्री रितिक गोठवाल	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, सवाईमाधोपुर	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, बूंदी	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
6.	श्री अजय सिंह	अभियोजन निदेशालय, जयपुर	अभियोजन निदेशालय, जयपुर (स.प्र.अधि. पद विरुद्ध)	पदोन्नति पर रिक्त पद पर

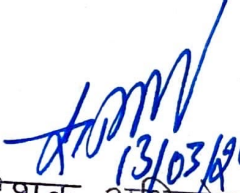
इसके अलावा अभियोजन निदेशालय के उक्त समसंख्यक आदेश 413-662 दिनांक 06.03.2024 द्वारा जारी पदस्थापन आदेश में क्रम संख्या 51 पर श्री राजेन्द्र कुमार के नवीन पदस्थापन स्थान में कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, जयपुर झालावाड़ के स्थान पर "कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, झालावाड़" पढ़ा जावे।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारीगण की कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित कर्मचारी ----- ।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


13/03/24
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर